न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 24/2023

1. सोहनलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

बनाम

1. गांधी राम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीर पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. सुभाष पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. गुडी पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. मोहित राड़ पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. राजेराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) सत्यमेव जयते

उपस्थित:– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6

निर्णय दिनांक:– 21/07/2025

अपीलांट सोहनलाल पुत्र रावताराम, अमीलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण सं. 3208 दिनांक 13.05.2024 जिसकी रूह से खाता विभाजन किया गया, क[illegible]करने बाबत अपील प्रस्तुत की, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested

1. रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के ख[illegible] सं. 204/207 के ख.न. [illegible]2 की 5.7160 हैक्टर भूमि ख.न. 221/2 की 4.0970 हैक्टर भूमि कुल तादादी 9.8130

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 6/35 हिस्सा, के एंव रेस्पोडेन्टस सं. 2 अकेला 1/14 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 3 अकेला 6/35 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 4 अकेला 5/84 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 5 अकेला 1/84 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 6 अकेला 6/35 हिस्सा भूमि के ख़ातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 180/118 की कुल तादादी 5.7050 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट सं. 1 अकेला 6/35 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 2 अकेला 6/35 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 3 अकेला 6/35 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 4 अकेला 5/84 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 5 अकेला 1/84 हिस्सा, रेस्पोडेन्टस सं. 6 अकेला 6/35 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार थे, नकल नवीनतम जमाबन्दी रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर एवं चक सरदारपुरा तहसील नोहर सलग्न वाद है, जिसमें यह रोशन है।

3. रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 204/207 की कुल तादादी 9.8130 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 180/118 की कुल तादादी 5.7050 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 6 सह खातेदार काश्तकार थे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 दोनो खेतो की कृषि भूमि का अपीलान्टस को मुगलाते में रहकर खाता तक्सीम करवा लिया तथा वाद भूमि का माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में खाता तक्सीम का बअनवानी सुभाष बनाम अमीलाल वाद प्रस्तुत कर रखा था तथा वर्तमान में भी वाद जैरकार है एवं रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 6 ने अपीलान्ट का मुगालते में रकर खाता विभाजन पर हस्ताक्षर करवा लिया है तथा अपीलान्ट को उबड़ खाबड़ एवं घटिया किस्म की भूमि खाता तक्सीम में दे दी तथा माननीय विचारण न्यायालय पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ है, जो कि अपास्तनीय है।

4. रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 204/207 की कुल तादादी 9.8130 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 180/118 की कुल तादादी 5.7050 हैक्टर भूमि पर माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में विनोद कुमार बनाम सोहनलाल प्रकरण सं. 06/2024 जैरकार था [illegible] उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर द्वारा रहन/बैय एवं [illegible] जारी था एवं दोनो खेतों की जमाबन्दी पर स्थगन आदेश [illegible] हल्का की स्थगन आदेश की प्रति उपलब्ध थी तथा उसके बावजुद भी [illegible] विभाजन का दिया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 ने पटवारी हल्का से साज–बाज कर विभाजन करवाकर अपीलान्ट को हल्के किस्म की भूमि दी गई है, जो कि अपास्तनीय है।

5. माननीय विचारण न्यायालय द्वारा खाता विभाजन किया गया है, उस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 ने अपीलान्ट को कहा कि माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में चल रहे वाद में राजीनामा पेश करना है तथा दावा प्राथमिक डिक्री करवाकर अच्छी में से अच्छी व मन्दी में मन्दी रिपोर्ट मगवाकर विभाजन प्रस्ताव के हस्ताक्षर करवा रहे परन्तु उन्होने सहमति के खाता विभाजन पर मुगालते में रखकर विभाजन करवा लिया तथा अपीलान्ट को उपखण्डाधिकारी एवं घटिया किस्म की भूमि में दे दी तथा अपीलान्ट के कब्जे की भूमि हड़प ली। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के विरूद्व है, इसलिए माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपास्तनीय है।

6. अपीलाधीन आदेश का तथा कथित खाता विभाजन को अपीलान्ट को ज्ञान था क्योंकि मिन अपीलान्ट देहान्ती एंव केवल मात्र साक्षर है, जिसे कानूनी पेचदगियों का कतई ज्ञान नही रहा क्योंकि अपीलान्ट को केवल मात्र दावा में राजीनामा का हस्ताक्षर कहा गया तथा माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर का स्थगन आदेश था एवं अपीलान्ट पटवारी हल्का से मिला तो पता चला कि दोनो चकों की भूमि का विभाजन हो चुका है तो अगले दिन दिनांक 23.09.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर रहा है। द्वितीय देरी से क्षमा का कारण मेरिटोरियस है तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद एवं शपथ अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है तथा ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है ।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर माननीय विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.2024 अपास्त फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] 5 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित [illegible] रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तामिल होनें के बाद भी उप[illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:10 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 204/207 की कुल तादादी 9.8130 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 180/118 की कुल तादादी 5.7050 हैक्टर भूमि को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 13.05.2024 को तक्सीम खाता विभाजन की अपील है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में प्रकरण संख्या 06/2024 अनवान विनोद कुमार बनाम सोहनलाल जैरकार था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रहन, बैय एंव मुन्तकिल न करनें का स्थगन आदेश जारी था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के प्रभावी रहते खाता विभाजन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने हल्का पटवारी से मिलिभगत कर अपीलांट को हल्के किस्म की भूमि दे दी गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में जैरकार वाद में राजीनामा करनें के बहाने धोखे से खाता विभाजन सहमती पर हस्ताक्षर करवा लिये, जिसका ज्ञान अपीलांट को नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर खाता विभाजन को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने अपनी बहस में कथन किया कि खाता विभाजन सहमती से किया गया है। इस खाता विभाजन में दो गवाह भी उपस्थित थे। सहमती से किये गये खाता विभाजन की कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 3208 दिनांक 13.05.2024 को समस्त पक्षकारान की सहमती के अनुसार संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा 100/-रू. के स्टॉप पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया गया जिसमें यह अंकित किया गया है कि" इस अनुबंध पत्र से हम सदैव पाबंद रहेगे"

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2024 पक्षकारन की आपसी सहमती के आधार पर पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर पारित निर्णय दिनांक 13.05.2024 विधि सम्मत एंव न्यायोचित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2025 को यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 21/7/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested